दिनांक–24.05.2018 को अपराह्न 04:00 बजे मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष, शासी परिषद्, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की अध्यक्षता में आयोजित शासी परिषद् की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति – पंजी के अनुसार

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के प्रस्तावों पर शासी परिषद् द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

कार्यावली बिन्दु–01 :– दिनांक–24.05.2018 को आयोजित शासी परिषद् की गत् बैठक की कार्यवाही (परिशिष्ट ''क'') पर शासी परिषद् की सम्पुष्टि प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

कार्यावली बिन्दु–02 :– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा पर नियोजित आई.टी. प्रबंधकों, आई.टी. सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर पुनर्विचार।

(क)–कार्यपालक सहायकः– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर शासी परिषद् द्वारा दिनांक–11.03.2015 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इनका मानदेय बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा इंट्री ऑपरेटरों के मानदेय के अनुरूप निर्धारित किया जाये। उक्त निर्णय के आलोक में बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटरों का मानदेय मिशन के पत्रांक–62/DSC, दिनांक 27.05.2015 से ₹10,072.00 प्रतिमाह निर्धारित किया गया था। पुनः वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर मिशन के पत्रांक–163/DSC, दिनांक 01.09.2015 से उनके मानदेय को पुनरीक्षित करते हुए ₹11,345.00 निर्धारित किया गया था।

शासी परिषद् की बैठक दिनांक–27.07.2016 में इस आशय का अनुमोदन प्राप्त हुआ था कि मिशन के कार्यपालक सहायक जिनका कार्यानुभव तीन वर्ष या उससे अधिक हो चुका है को बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर के वरीय ग्रेड का मानदेय देने के लिये बेल्ट्रॉन के माध्यम से परीक्षा आयोजित कर बेल्ट्रॉन के दर पर वरीय ग्रेड का मानदेय दिया जाये।

कालांतर में बेल्ट्रॉन के द्वारा उनके सभी ग्रेड के डाटा इंट्री ऑपरेटरों के मानदेय में पुनः वृद्धि की गयी है। **बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटरों को वर्तमान में दिये जा रहे Take Home Salary की राशि में कार्यपालक सहायकों द्वारा कम्प्यूटर सिस्टम लाये जाने के एवज में अतिरिक्त ₹2500.00 की राशि जोड़ते हुए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के कार्यपालक सहायकों का मानदेय निम्नवत निर्धारित किया जाना प्रस्तावित हैः–**

सारणी – 'क' कार्यपालक सहायक के मानदेय में वृद्धि हेतु प्रस्ताव

बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटरों का मानदेय			BPSMS के कार्यपालक सहायकों का मानदेय			
बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर	बेल्ट्रॉन के पत्रांक–11857, दिनांक–13.07.2017 द्वारा निर्धारित **Take Home Salary**	बेल्ट्रॉन द्वारा उनके डाटा ईन्ट्री ऑपरेटर को देय मानदेय मे प्रतिशत वृद्धि	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के कार्यपालक सहायक	सेवा अवधि	वर्तमान मानदेय	प्रस्तावित मानदेय (बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर का मानदेय कम्प्यूटर सेट हेतु प्रस्तावित राशि ₹2500.00 के कुल योग को अगले शतक तक **Round off** करने के पश्चात की राशि)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
प्रथम पदस्थापन (Basic Grade)	11078	..	Executive Assistant	From Date of Joining	11345	13600
ग्रेड–II तीन वर्ष का न्यूनतम कार्यानुभव एवं निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्णता	15504	39.95%	Executive Assistant Grade-II	After 3 complete years of successful service as Executive Assistant & Passing the exam as decided by GC	11345	18100
ग्रेड–I दस वर्ष का न्यूनतम कार्यानुभव एवं निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्णता	20363	पिछले वृद्धि के पश्चात 31.34%	Executive Assistant Grade-I	After 10 complete years of successful service as Executive Assistant & Passing the exam as decided by GC	11345	22900

(ख)–आई.टी.सहायक एवं आई.टी.प्रबंधकः– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में संविदा पर नियोजित **आई.टी.प्रबंधकों एवं आई.टी.सहायकों** के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव पर शासी परिषद् की बैठक दिनांक–09.03.2015 में यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में इनके मानदेय में वृद्धि के लिये एक तर्कसंगत वैज्ञानिक फॉर्मूला बना लिया जाये। बेल्ट्रॉन के द्वारा उनके डाटा इंट्री ऑपरेटरों के मानदेय हेतु निर्धारित फॉर्मूला में से निश्चित सेवा अवधि के सफल संचालन के अनुरूप ग्रेड वार मानदेय निर्धारण के फॉर्मूला को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा आई.टी.प्रबंधकों एवं आई.टी. सहायकों के लिये अपनाये जाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव है कि मिशन के आई.टी.प्रबंधकों एवं आई.टी. सहायकों के मानदेय को बेल्ट्रॉन के द्वारा उनके डाटा इंट्री ऑपरेटरों के मानदेय हेतु निर्धारित सफल सेवा अवधि एवं निर्धारित मानदेय वृद्धि प्रतिशत के बराबर ही ग्रेडवार बढ़ाया जाये, जिसकी विस्तृत विवरणी निम्न सारणी के अनुसार हैः–

सारणी – 'ख' आई.टी.सहायकों के मानदेय में वृद्धि हेतु प्रस्ताव

पदनाम	सफल सेवा अवधि	वर्तमान मानदेय	प्रस्तावित मानदेय	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
I.T. Assistant	From Date of Joining	17,000	17,000	0%
I.T. Assistant Grade-II	After 3 complete years of successful service	17,000	23,800	40%* (प्रारम्भिक मानदेय से कुल वृद्धि)
I.T. Assistant Grade-I	After 10 complete years of successful service	17,000	31,300	पिछले वृद्धि के पश्चात 31.5%*

*बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर के मानदेय में हुए वृद्धि के प्रतिशत के बराबर वृद्धि प्रतिशत

सारणी – 'ग' आई.टी.प्रबंधकों के मानदेय में वृद्धि हेतु प्रस्ताव

पदनाम	सफल सेवा अवधि	वर्तमान मानदेय	प्रस्तावित मानदेय	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
I.T. Manager	From Date of Joining	40,000	40,000	0%
I.T. Manager Grade-II	After 3 complete years of successful service	40,000	56,000	40%*
I.T. Manager Grade-I	After 10 complete years of successful service	40,000	73,600	पिछले वृद्धि के पश्चात 31.42%*

*बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर के मानदेय में हुए वृद्धि के प्रतिशत के बराबर वृद्धि प्रतिशत

चूँकि शासी परिषद् की दिनांक–15.03.2018 की बैठक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा पर नियोजित आई.टी. प्रबंधकों, आई.टी. सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर निर्णय स्थगित रखने का निर्णय लिया गया था।

अतः उपर्युक्त के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा पर नियोजित आई.टी. प्रबंधकों, आई.टी. सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय में उपर्युक्त सारणियों के अनुसार वृद्धि के बिंदु पर शासी परिषद् द्वारा पुनर्विचार प्रार्थित है।

निर्णय	शासी परिषद की गत बैठक में इस बिंदु पर निर्णय को स्थगित रखा गया था। इस बिंदु पर पुनर्विचार के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा बिहार सरकार में संविदा के आधार पर कार्यरत Computer Personnel के मानदेय में एकरूपता लाने के लिये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस तथ्य के आलोक में शासी परिषद द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा पर नियोजित आई.टी. प्रबंधकों, आई.टी. सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय वृद्धि के बिंदु पर निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः– 1. सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा बिहार सरकार में संविदा के आधार पर कार्यरत Computer Personnel के मानदेय में एकरूपता लाने के लिये तैयार किये जा रहे प्रस्ताव में बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटरों के मानदेय वृद्धि के लिये निर्धारित किये जाने वाले फार्मूला को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा मिशन के कार्यपालक सहायकों के लिये भी Adopt कर लिया जाएगा।

	2. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के आई.टी.सहायकों के मानदेय में वृद्धि के संबंध में उपर्युक्त सारणी–'ख' एवं आई.टी.प्रबंधकों के संबंध में सारणी–'ग' में वर्णित प्रस्ताव को शासी परिषद द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृति दी गयी कि यह मानदेय वृद्धि उस तिथि से प्रभावी होगी, जिस तिथि से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा मिशन के कार्यपालक सहायकों के मानदेय वृद्धि के लिये बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटरों के मानदेय वृद्धि के संबंध में सूचना प्रावैधिकी विभाग के फार्मूला को Adopt किया जाएगा।

<u>कार्यावली बिन्दु–03</u> :– जिलास्तरीय पैनल से अन्य कार्यालयों से नियोजित आई.टी. सहायकों/कार्यपालक सहायकों का एक अलग पैनल सृजित करते हुए भविष्य में प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं में आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुये सर्वप्रथम इस नवसृजित पैनल से नियोजन की कार्रवाई किये जाने के प्रस्ताव पर शासी परिषद् का पुनर्विचार।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विज्ञापन के आलोक में जिलों द्वारा तैयार किये गये कार्यपालक सहायकों के पैनल से अन्य कार्यालयों को भी कार्यपालक सहायकों की सेवा उपलब्ध करायी जाती है, जिनका मानदेय भुगतान संबंधित कार्यालय के द्वारा किया जाता है।

कतिपय कार्यालयों द्वारा आवश्यकता समाप्त होने के उपरांत अथवा अन्य कारणों से उपर्युक्त वर्णित कार्यपालक सहायकों को नियोजनमुक्त करते हुये इनकी सेवा वापस कर दी जाती है। इस प्रकार के मामलों में शासी परिषद् के दिनांक–11.03.2015 की बैठक के प्रस्ताव संख्या–17 (निम्नवर्णित) को शासी परिषद द्वारा अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया थाः–

"वैसे आई०टी०सहायक/कार्यपालक सहायक, जिन्हें लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु जिले के पैनल से नियोजित किया जाता है तथा कार्य समाप्त होने के उपरांत इन आई०टी० सहायकों/कार्यपालक सहायकों का नियोजन समाप्त कर दिया जाता है। इन आई०टी० सहायकों/कार्यपालक सहायकों द्वारा पुनर्नियोजन हेतु किये गये अनुरोध पर विभिन्न जिलों से मन्तव्य की मांग की जा रही है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में वैसे आई०टी० सहायक/कार्यपालक सहायक जिनकी सेवा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त समाप्त की जाती है, को जिले में रिक्त आई०टी० सहायक/कार्यपालक सहायक के पदों पर नियोजन करने एवं रिक्ति नहीं होने की स्थिति में इन्हें जिला पैनल में वरीयतम स्थान पर रखने के प्रस्ताव पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।"

शासी परिषद् के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में नियोजन मुक्त किये गये कार्यपालक सहायक के पुनर्नियोजन की प्रक्रिया स्थगित रखे जाने का निदेश सभी जिलों को दिया जा चुका है।

विगत कुछ महीनों से लगातार ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं जहाँ जिलास्तरीय पैनल से कार्यपालक सहायक की सेवा प्राप्त किये जाने के अल्प अवधि के उपरांत ही संबंधित कार्यालय द्वारा उनकी सेवा की आवश्यकता समाप्त हो जाने के आधार पर वापस कर दी जाती है। उदाहरण के तौर पर गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा CCTNS परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सभी जिलों में नियोजित कार्यपालक सहायकों को नियोजन के तीन से छः माह की अवधि के उपरांत ही नियोजनमुक्त कर दिया गया। इन नियोजन मुक्त कार्यपालक सहायकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट वाद दायर किया जाता है अथवा माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं अन्य कई स्तरों पर अभ्यावेदन/परिवाद समर्पित किये जा रहे हैं।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के समक्ष कई ऐसे भी मामले आए हैं, जिनमें कार्यपालक सहायकों को कई वर्षों तक सेवा करने के उपरांत नियोजनमुक्त कर दिया जाता

है। इन कार्यपालक सहायकों के नियोजन के समय सृजित पैनल भी इस अवधि तक समाप्त हो चुका होता है। ऐसे मामले वरीय उपसमाहर्ता के साथ संबद्ध कार्यपालक सहायकों एवं पूर्व के जन शिकायत कोषांगो के लिये जिलो में नियोजित कार्यपालक सहायकों के संबंध में गत महीनों में दृष्टिगत हुए हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नगर निगम से संबंधित सेवा को इस अधिनियम के परिधि से हटाये जाने के पश्चात नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों के संबंध में भी पश्चिम चम्पारण जिले से मार्गदर्शन की अपेक्षा की जा रही है।

उपर्युक्त वस्तुस्थिति के आलोक में प्रस्ताव है कि सभी जिलों द्वारा उनके जिले के नियोजनमुक्त कार्यपालक सहायकों/आई.टी. सहायकों (अनुशासनिक कारणों के आधार पर नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) का उनके नियोजनमुक्ति की तिथि के आवर्ती क्रम में एक पैनल तैयार किया जाए। अर्थात पहले नियोजनमुक्त कर्मियों को बाद में नियोजनमुक्त कर्मियों की तूलना में वरीयता प्रदान की जाएगी, चाहे वो किसी भी वर्ष अथवा किसी भी पैनल से नियोजित किये गये हों। भविष्य में इन पदों पर नियोजन हेतु उत्पन्न होने वाली रिक्तियों/प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं के आलोक में सर्वप्रथम इसी विशेष पैनल से ही नियोजन की कार्रवाई की जाए। परन्तु किसी भी नियोजन के पूर्व जिलों द्वारा यह स्पष्ट रूप से सुनिश्चित हो लिया जाये कि उक्त नियोजन आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरूप ही किया जाए।

शासी परिषद् की दिनांक–15.03.2018 की बैठक में भी इन नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों के पुनर्नियोजन के प्रस्ताव पर निर्णय स्थगित रखा गया था।

उक्त के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत नियोजित कार्यपालक सहायकों/आई.टी.सहायकों में से नियोजनमुक्त (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) कार्यपालक सहायकों/आई.टी.सहायकों का अलग पैनल सृजित करते हुए भविष्य में प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं में आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुये सर्वप्रथम इस नवसृजित पैनल से नियोजन की कार्रवाई किये जाने के प्रस्ताव पर शासी परिषद् द्वारा पुनर्विचार प्रार्थित है।

निर्णय	**स्वीकृत।** **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी इसके लिये विस्तृत निर्देश निर्गत करेगा।**

<u>कार्यावली बिन्दु–04</u> :– राष्ट्रीय स्तर पर मोबाईल एवं इंटरनेट के दरों में गिरावट के कारण BSNL से प्राप्त 303 Postpaid CUG Sim के संबंध में पूर्व के ही प्रति इकाई दर पर प्राप्त नये Postpaid Tariff Proposal का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड से 303 Postpaid CUG Sim की सुविधा वर्ष 2009–10 से प्राप्त की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर Tariff में गिरावट के कारण BSNL के पदाधिकारियों द्वारा पूर्व के ही दर ₹725 प्रति सीम (कर अलग से) की देयता पर दिया गया नया Tariff Proposal निम्न सारणी के अनुसार है:–

S/n	Particulars	Tariff/charges (Old)	Tariff/Charges (Proposed)
1	Fixed monthly charges (Rs)	Rs 725/- per month per connection + Service Tax **(Postpaid)**	Rs 725 + Service Tax **(Postpaid)**
2	Local/STD Voice Calls on any	100 Minutes of Free Calls	Free

	network	per month to other network	
3	National Roaming Incoming/ Outgoing Voice calls	Incoming free/ Outgoing Charges 0.50/Min	Free
4	Free number of SMS (Local/STD/Roaming) on any network/month	SMS within CUG under plan 725 will be free (SMS reminder will be issued at the time of exceeding the call limit)	3000* (The free SMS is restricted to 100 SMS/Day, all SMS beyond 100 SMS/day will be chargeable 0.50 paise)
5	Data usage	0.1/10kb charges	Unlimited (Speed 80 kbps after 30GB)
6	SMS charge beyond free limit	Free SMS	50 paise per SMS
7	International roaming	-	As per standard Plan 725 of BSNL
8	Video Call	Not allowed	Not allowed
9	Value Added Services (VAS)	Not allowed	Not allowed
10	All other tariff charges	As per standard tariff of BSNL Postpaid Plan 725	As per standard tariff of BSNL Postpaid Plan 725

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि BSNL द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को 303 CUG Sim उपलब्ध कराने हेतु BSNL के पत्रांक–81 दिनांक–10.11.2009 एवं पत्रांक–82, दिनांक–17.11.2009 द्वारा समर्पित प्रस्ताव को मिशन के पत्रांक–12557, दिनांक–20.11.2009 द्वारा संपुष्ट किया गया था। उक्त प्रस्ताव में ₹ 725.00 प्रति माह प्रति मोबाईल नम्बर Fixed Monthly Charges के अंतर्गत अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य नेटवर्क पर प्रति माह मात्र 100 मीनट के फ्री कॉल की सुविधा थी। यह भी वर्णित था कि अन्य नेटवर्क पर इस सीमा से अधिक फ्री कॉल किये जाने पर BSNL द्वारा संबंधित मोबाईल नम्बर पर SMS Alert भेजा जाएगा। BSNL द्वारा किसी भी नम्बर पर ऐसा कोई SMS Alert दिये बिना प्रत्येक महीने कई मोबाईल नम्बरों पर Fixed Monthly Charges से अधिक Usage Charges की राशि का विपत्र समर्पित किया गया है। मिशन द्वारा इस संबंध में BSNL के पदाधिकारियों के साथ कई बैठक की गयी, जिसमें BSNL द्वारा उक्त SMS Alert सुविधा के लिये तकनीकी अक्षमता व्यक्त की।

उसके बाद भी BSNL द्वारा प्रत्येक माह Fixed Monthly Charges से अधिक Usage Charges का विपत्र समर्पित किया जाता रहा है एवं मिशन द्वारा इन विपत्रों के विरूद्ध मात्र Fixed Monthly Charges की गणना कर भुगतान किया जा रहा है। प्रत्येक माह के विपत्र में जमा हो रहे इस अंतर राशि के भुगतान के संबंध में BSNL के अनुरोध के आलोक में मिशन द्वारा विधिक परामर्श प्राप्त किया गया। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह विधिक परामर्श दिया गया कि BSNL द्वारा प्रतिमाह समर्पित Fixed Monthly Charges से अधिक Usage Charges का दावा Untenable है। विज्ञ अधिवक्ता ने BSNL द्वारा मोबाईल कनेक्शनो को समाप्त करने की चेतावनी को विधि सम्मत नहीं मानते हुए BSNL द्वारा ऐसा किये जाने की स्थिति में BSNL से Compensation प्राप्त करने के लिये माननीय उच्च न्यायालय में WRIT दायर करने का सलाह भी दिया है। विज्ञ अधिवक्ता ने यह भी सुझाव दिया कि यदि मिशन मोबाईल कनेक्शन जारी रखना चाहता है तो BSNL से दूसरे स्कीम पर वार्ता कर सकता है। विज्ञ अधिवक्ता के इस परामर्श पर विधि विभाग ने भी अपनी सम्पुष्टि व्यक्त की है।

BSNL के पदाधिकारियों को इस तथ्य की जानकारी दिये जाने पर उनके द्वारा यह नया प्रस्ताव समर्पित किया गया। इस नये प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात प्रति माह Fixed Monthly Charges से अधिक Usage Charges के BSNL के दावे की राशि में वृद्धि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

चूँकि इस प्रस्ताव में किसी अतिरिक्त राशि का व्यय नहीं होगा, अतः उक्त प्रस्ताव स्वीकार किये जाने से वर्तमान परिदृश्य में विभिन्न Tariff में गिरावट के अनुसार मिशन के सभी 303 CUG Sim के उपयोगकर्ताओं को उसी राशि में अधिक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सकेगी। ऐसा करने से BSNL के द्वारा हर माह Fixed Monthly Charges से अधिक राशि का विपत्र देने की समस्या भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

उपर्युक्त के आलोक में BSNL द्वारा समर्पित इस नये Tariff Plan Proposal को स्वीकार करते हुए BSNL के साथ नये Tariff के अनुसार संशोधित एकरारनामा किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत। BSNL द्वारा प्रत्येक माह Fixed Monthly Charges से अधिक Usage Charges का विपत्र समर्पित किये जाने के आलोक में BSNL के बकाये के दावे के निराकरण हेतु मिशन निदेशक को प्राधिकृत किया गया।

<u>कार्यावली बिन्दु–05</u> :–बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रचार–प्रसार की कार्य योजना एवं उस पर होने वाले व्यय का अनुमोदन ।

नियत समय–सीमा में आम लोगों को उनकी शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण का वैधानिक अधिकार प्रदान करने वाले बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सके और इसकी पहुँच सुदूर तबकों एवं अभिवंचित वर्ग के बीच भी हो, इसके लिए अधिनियम के प्रचार–प्रसार की विस्तृत कार्य योजना बनायी गयी है । इसमें समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन, रेडियो, टेलिविजन, सिनेमा घरों, होर्डिंग के माध्यम से प्रभावकारी प्रचार–प्रसार के साथ सोशल मीडिया का उपयोग, Advocacy Workshop का आयोजन, शोध छात्रों के माध्यम से अधिनियम के प्रभाव का विश्लेषण, मोबाईल फोन पर माननीय मुख्यमंत्री का संदेश प्रसारित कराने इत्यादि की योजना है । अधिनियम की पहुँच को दूर–दराज के ग्रामीण लोगों तक ले जाने के लिए अधिनियम के उद्देश्य एवं उसके उपलब्धियों को प्रचार रथ (Video Van) के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के सभी ग्राम पंचायतों में प्रचारित प्रसारित करने का प्रस्ताव है । इसके दृष्टिगत सैद्धांतिक तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि Video Van के माध्यम से 15 मिनट का Common Short Film एवं 05 मिनट के District Specific Short Film अर्थात कुल 20 मिनट की अवधि के दो लघु फिल्मों का प्रदर्शन कराया जाएगा ।

अतः बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के व्यापक प्रचार–प्रसार की योजना एवं इस पर होने वाले अनुमानित व्यय लगभग ₹ 7.00 (सात) करोड़ का वहन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को प्राप्त सहायक अनुदान विषय शीर्ष–3106 वेतनादि के अलावा मद की राशि से किये जाने के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

<u>कार्यावली बिन्दु–06</u> :– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम एवं लोक सेवाओं का अधिकार

अधिनियम के संबंध में विभिन्न शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों एवं शोधकर्ताओं के साथ किये जाने वाले Collaboration के लिये इन संस्थानों/शोधकर्ताओं को इस कार्य में सहयोग हेतु राशि उपलब्ध कराने एवं उसपर होने वाले व्यय का वहन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा किये जाने पर अनुमोदन।

आज दिनांक–24.05.2018 को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में Chandragupt Institute of Management Patna, Development Management Institute, A.N.Sinha Institute of Social Studies एवं Birla Institute of Technology, Patna के निदेशक/प्राध्यापकों के साथ बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा संचालित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम एवं लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित Collaboration के विभिन्न आयामों पर विस्तृत विमर्श हुआ। इस विमर्श के क्रम में इन संस्थाओं द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के साथ Exchange of ideas based on ground realities, Independent evaluation studies, Student apprenticeship/summer schools/research projects, Providing an opportunity for doctoral and post-doctoral research fellows, Organization of Joint Conferences, Exhibitions and Seminars, Organization of training programmes, joint study tours & joint research programmes, Exchange of academic and administrative staff, Engagement of scholars, teachers, experts and students एवं अन्य माध्यम से Collaboration में रूचि व्यक्त की गयी।

मिशन द्वारा संचालित इन कार्यक्रमों पर विभिन्न शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों तथा शोधवेत्ताओं द्वारा उक्त वर्णित एवं अन्य माध्यम से Collaboration के विभिन्न schemes में सहयोग एवं उनके क्रियान्वयन का व्यय बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को प्राप्त सहायक अनुदान विषय शीर्ष–3106 वेतनादि के अलावा मद से किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है। Collaboration के मामलों में होने वाले व्यय पर Detailed Norms तैयार किए जाने हेतु मिशन निदेशक को प्राधिकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

अन्यान्य–बिंदु–1 :– **बिहार में कार्यरत बिहार संवर्ग के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को मिशन से एक CUG Sim आवंटित करने का निर्णय लिया गया। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक–13188, दिनांक–08.12.2009 द्वारा CUG Mobile Network से आच्छादित पदाधिकारियों को मिशन से मोबाईल सेट उपलब्ध कराने का निर्णय संसूचित था। चूँकि शासी परिषद् के इस निर्णय से CUG Mobile Network से आच्छादित पदाधिकारियों की संख्या बढ़ेगी, अतः मिशन द्वारा मोबाईल सेट उपलब्ध कराने का निर्णय स्वतः ही इन पदाधिकारियों पर भी लागू हो जाएगा। CUG Mobile Network से आच्छादित इन पदाधिकारियों के केन्दीय प्रतिनियुक्ति/बिहार राज्य के बाहर अन्य किसी प्रतिनियुक्ति की स्थिति में प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान करने के पूर्व उन्हें यह सीम मिशन को लौटाना होगा। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी यह सीम किसी अन्य पदाधिकारी को आवंटित करने के लिये स्वतंत्र होगा।**

क्षेत्रीय कार्यालयों (यथा– प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य) के पदों पर पदविशेष के साथ संबद्ध CUG Sim की व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी।

<u>अन्यान्य–बिंदु–2 :–</u> श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, शासी परिषद्, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को अध्यक्ष के रूप में मिशन को दिये गये मार्गदर्शन के लिये समर्पित निम्नलिखित धन्यवाद प्रस्ताव को शासी परिषद् के उपस्थित सदस्यों द्वारा अनुमोदित करते हुए इसे इस बैठक की कार्यावली में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

राज्य में प्रशासनिक सुधार एवं पारदर्शिता लाने में आपके द्वारा निभायी गयी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका के लिये बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी आपका अभिवादन करता है।

महोदय, आपके नेतृत्व में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की सम्पूर्ण रूप रेखा तैयार कर इसके क्रियान्वयन की नींव रखी गयी। आपके मार्गदर्शन में ही बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा इसको पूर्णतः कार्यान्वित किया जा सका। आज इसके माध्यम से राज्य के लाखों पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान हुआ है।

आपके सहज एवं सरल स्वभाव तथा रचनात्मक चिंतन के कारण आपने कार्यकुशलता के नये आयाम स्थापित किये हैं। आपने कुशल मानवीय प्रबंधन करते हुए बिहार सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण व जिम्मेदारपूर्ण पदों के दायित्वों का सफलता व गरिमापूर्वक निर्वहन किया है। मुख्य सचिव के रूप में आपका कार्यकाल अत्यंत प्रभावकारी व शानदार उपलब्धियों का रहा है। आपकी जीवन शैली भी सादा लेकिन गरिमामयी रही है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की ओर से हम आपके द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व एवं आपके आशीष एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार के लिए आभार प्रकट करते हैं।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह०/–
(शिवेन्दु रंजन)
उपनिदेशक
बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान

ह०/–
(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
अपर सचिव
योजना एवं विकास विभाग

ह०/–
(जितेन्द्र कुमार)
प्रभारी, सचिव
विधि विभाग

ह०/–
(डॉ० प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक, बिहार
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन

ह०/–
(राहुल सिंह)
सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग
–सह–प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन

ह०/–
(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग

ह०/–
(आमिर सुबहानी)
मिशन निदेशक–सह–प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

ह०/–
(दीपक कुमार)
विकास आयुक्त, बिहार

ह०/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

ज्ञापांकः– **बि.प्र.सु.मि.सो./योजना–02/2012, (खण्ड)** 749**, दिनांक–** 30/05/2018

प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त, बिहार, पटना/महानिदेशक, बिपार्ड, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना को कार्यवाही की छायाप्रति आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/5/18

(डॉ० प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांकः– **बि.प्र.सु.मि.सो./योजना–02/2012, (खण्ड)** 749**, दिनांक–** 30/05/2018

प्रतिलिपिः– प्रशासनिक पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को कार्यवाही की छायाप्रति आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/5/18

(डॉ० प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक